

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

M

ई-निविदा सूचना

संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) के लिये वर्ष 2016-17 में रसायन सामग्री, प्लास्टिक वेयर, ग्लासवेयर कन्ज्यूमेबल क्रय करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता द्वारा विस्तृत जानकारी www.rajswasthay.nic.in व sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है तथा eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से निविदा में आवेदन किया जा सकता है।

1. निविदा का विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	कार्यालय का नाम	सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी एवं राज्य क्षय रोग अधिकारी (टी.बी.)
2.	निविदा संख्या	निविदा सूचना संख्या क्रमांक 906 दिनांक 01/08/16
3.	निविदा कार्य	स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) में वर्ष 2016-17 में लेबोरेट्री हेतु रसायन प्रयोगशाला सामग्री, कन्ज्यूमेबल्स, प्लास्टिक वेयर्स व ग्लासवेयर सप्लाई का कार्य।
4.	अनुमानित लागत	रु. 11,00,000/- अनुमानित
5.	निविदा शुल्क	रुपये 400/-
6.	अमानत राशि	रु. 22000/- (अक्षरे बाईस हजार रु. मात्र)
7.	RISL का शुल्क	रु. 500/- (अक्षरे पांच सौ रु. मात्र)
8.	निविदा आवेदन डाउनलोड करने व भरने/अपलोड करने की तिथि	दिनांक 08.08.2016 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 28.08.2016 को सांय 6:00 बजे तक
9.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.08.2016 को दोपहर 3:00 बजे
10.	निविदा शुल्क, अमानत राशि, RISL का शुल्क, शपथ-पत्र तथा नमूनों को भौतिक रूप से जमा कराने की अन्तिम तिथि	दिनांक 29.08.2016 दोपहर 1:00 बजे तक

2. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के शुल्क रु. 400/- का डी.डी./बैंकर्स चैक, अमानत राशि 22000/- का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) के पक्ष में, RISL की फीस राशि 500/- का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक RISL के पक्ष में शपथ-पत्र, तथा नमूनों को भौतिक रूप से दिनांक 29.08.2016

को दोपहर 1:00 बजे तक कमरा नं. 105, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा करवाना अनिवार्य है। इसके बिना तकनीकी निविदा को नहीं खोला जावेगा। डीडी/बैंकर्स चेक तथा शपथ-पत्र की स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।

3. Small Scale Industry (लघु उद्योग) में रजिस्टर्ड निविदादाता को अमानत राशि के रूप में निविदा की अनुमानित लागत 0.5 प्रतिशत जमा करवाना होगा और लघु उद्योग से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुर्ननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है यह निविदा की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत होगी। SSI का प्रमाण-पत्र अमानत राशि के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में eproc.rajasthan.gov.in साईट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिनके प्रस्ताव डिजीटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे। कोई प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. निविदा निर्धारित समय व दिनांक पर ही खोली जायेगी। यदि निविदा खोलने की दिनांक को राज्य सरकार द्वारा किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी।
6. सशर्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. निविदा में चाही गई सामग्री की संख्या/मात्रा सम्भावित है जिसे विभाग द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है।
8. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा दाता को अपने डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
9. एक से अधिक निविदादाताओं की दरें अलग-अलग सामग्री हेतु न्यून होने की स्थिति में एक से अधिक निविदादाओं के साथ दर अनुबन्ध किया जा सकता है।
10. यदि पार्टनरशिप फर्म द्वारा आवेदन किया जाता है तो समस्त पार्टनर द्वारा किसी भी एक पार्टनर को समस्त कार्यों के लिये अधिकृत कर उसका पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदाएं खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
12. किसी भी निविदा को स्वीकार करने व बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग को है।
13. तकनीकी निविदा में सफल होने के लिये निम्न शर्तें पूरी करना अनिवार्य है।
 1. निविदा में चाहे गये सभी दस्तावेज/प्रपत्र पूर्ण रूप से सही पाये जाने पर।
 2. प्राप्त नमूनों की जांच/टेस्ट में सही पाये जाने पर।
14. नमूनों के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

राजस्थान सरकार
राज्य क्षय रोग अधिकारी एवं सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

ई-निविदा सूचना

(निविदा प्रपत्र)

1. निविदा बाबत :- वर्ष 2016-17 में प्रयोगशाला रसायन सामग्री, कन्ज्युमेबल्स, प्लास्टिक वेयर एवं ग्लास वेयर क्रय हेतु निविदा। (अनुमानित राशि 11 लाख रुपये)
2. निविदा देने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता.....

मोबाईल नं.....ईमेल-आईडी.....

3. निविदा जिसको सम्बोधित/प्रस्तुत की :- सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) एवं राज्य क्षय रोग अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
4. संदर्भ:- निविदा सूचना संख्या क्रमांक 906 दिनांक 4/8/16

(निविदा का सम्पूर्ण विवरण eproc.rajasthan.gov.in, www.rajswasthay.nic.in व spps.raj.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता निर्धारित समयावधि तक आवेदन eproc.rajasthan.gov.in पर देखकर आवेदन कर सकते हैं।)

5. मैंने/हमने सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) एवं राज्य क्षय रोग अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या क्रमांक 906 दिनांक 4/8/16 में वर्णित सभी शर्तों को जिनके कि सभी पृष्ठों पर मैंने/हमने उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, मानने के लिए बाध्य हूं/हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर



राजस्थान सरकार
राज्य क्षय रोग अधिकारी एवं सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

प्रयोगशाला रसायन सामग्री, कन्ज्यूमेबल्स, प्लास्टिक वेयर एवं ग्लास वेयर क्रय हेतु
निविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भरते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी निविदा, द्वितीय भाग वित्तीय निविदा है। निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक भरना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में निम्न दस्तावेज होने चाहिए –
 1. अमानत राशि के डीडी/बैंकर्स चैक की स्कैन प्रति।
 2. RISL के शुल्क के डीडी/बैंकर्स चैक की स्कैन प्रति।
 3. निविदा प्रपत्र के शुल्क के डीडी/बैंकर्स चैक की स्कैन प्रति।
 4. वेट पंजीयन तथा दिनांक 31.03.2016 तक का क्लीयरेंस प्रमाण पत्र।
 5. आयकर पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति।
 6. निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ संलग्न शपथ-पत्र की स्कैन प्रति प्रारूप (अनुलग्नक-E) के अनुसार।
 7. फर्म का औसत वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 20 लाख रुपये होना चाहिए। जिसकी सूचना संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-F) में चार्टर्ड अकाउन्टेंट से सत्यापित करवाकर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।
 8. निवेदादाता मैन्यूफैक्चरर/डीलर होने का प्रमाण पत्र। (अनुलग्नक-G)
 9. प्रत्येक आईटम का लघु साईज का नमूने स्पेशिफिकेशन के साथ पृथक से प्रस्तुत करें।
 10. अनुलग्नक-A,B,C,D भरकर।
3. उक्त सभी दस्तावेज संलग्न कर चैक लिस्ट में भरकर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। (अनुलग्नक-H)
4. वित्तीय निविदा (Bill Of Quantity) में निम्न दस्तावेज होने चाहिए –
 1. वित्तीय निविदा संलग्न प्रपत्र में ही भर कर प्रस्तुत की जानी है।
 2. अलग से कोई प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 3. दरें चाही गई मात्रा व पैकिंग के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी है।
 4. प्रस्तुत की जाने वाली दरों में वेट को अलग से दर्शाना अनिवार्य है।
 5. विभाग द्वारा निविदा के साथ केमिकल/लैब कन्ज्यूमेबल एवं उपकरण/प्लास्टिक वेयर/ग्लासवेयर की दरें विभाग के चाहे अनुसार पैकिंग की मात्रा के अनुसार शब्दों एवं अंकों में अंकित करना अनिवार्य है।



निविदा की अन्य शर्तें

1. सफल निविदा दाता को चाही गई सामग्री के वर्क ऑर्डर एकमुश्त ना होकर आवश्यकतानुसार समय-समय पर दिये जायेंगे।
2. विभाग द्वारा सप्लाय की जाने वाली सामग्री के टेस्ट/जांच करवाये जायेंगे जिनका खर्चा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। टेस्ट/जांच फेल होने की स्थिति में टेस्ट/जांच का खर्चा निविदादाता से वसूला जायेगा।
3. प्रत्येक ऑर्डर में दिये जाने वाली सामग्री की टेस्ट/जांच करवाई जावेगी।
4. तकनीकी निविदा के सफल होने के उपरांत ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
5. निविदा प्रपत्र में उपरी लेखन (Over writing) नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक कांट-छांट पर निविदादाता को अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे। दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में अंकित होनी चाहिए। यदि शब्दों व अंकों की दरों में अन्तर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में शब्दों की दरें मान्य होगी।
6. स्वीकृत दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से तीन माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। सफल निविदादाता को अनुमोदित दरों पर समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशानुसार सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
7. यदि सफल निविदादाता के द्वारा किसी अन्य विभाग में अनुबन्धित दर से कम दर निविदा में कोट की जाती है या कम दरों पर सप्लाय की जाती है तो अनुबन्धित दरें स्वतः ही उस दर के बराबर मानी जावेगी एवं अधिक राशि का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
8. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री में ISI या ISO मार्क वाली सामग्री को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
9. निविदाएं राजस्थान में वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए। अपंजीकृत फर्मों की निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी। वैट पंजीयन संख्या का निविदा में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
10. चाही गई सामग्री कमला नेहरू क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर, माइक्रोबायोलोजी लैब, जोधपुर तथा जयपुर में FOR सप्लाय की जानी है।
11. सामग्री जयपुर, जोधपुर, अजमेर में FOR की जानी है, तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किन्तु केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर (VAT) को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। किसी गाड़ी-भाड़े या परिवहन प्रभारों का स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. वित्तीय निविदा में निविदादाता द्वारा अपनी दर विभाग द्वारा चाही गई पैकिंग की मात्रा के अनुसार ही भरी जावे।
13. यदि निविदादाता द्वारा निविदा पर स्वयं हस्ताक्षर न किये जाकर अन्य किसी को अधिकृत किया जाता है तो अधिकृत करने का पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।
14. निविदा में आवेदन/अपलोड किये जाने वाले समस्त प्रपत्र/दस्तावेज स्पष्ट पठन योग्य होने चाहिए।
15. निविदा दाता का औसत वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में (2013-14, 2014-15, 2015-16) न्यूनतम 20 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिये। जिसकी सूचना (अनुलग्नक-F) में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित करवाकर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।
16. ऐसी कम्पनी/फर्म/निविदा दाता जिसे पूर्व में ब्लैक लिस्टड घोषित किया गया हो निविदा में भाग नहीं ले सकती।

17. निविदा में प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रपत्र/सूचना का गलत/असत्य पाये जाने पर निविदा दाता की निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जावेगी तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. निविदा दाता द्वारा निविदा में चाही सामग्री में से कोई एक/अधिक/समस्त सामग्री की सप्लाई हेतु आवेदन किया जा सकता है।
19. निविदा दाता द्वारा समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है जिसमें निविदा शुल्क, अमानत राशि, RISL के शुल्क के डीडी/बैंकर्स चैक की प्रति तथा शपथ-पत्र भी स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
20. सफल निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा।
21. अनुसूची में अंकित वस्तुओं के नमूने निर्धारित तिथि तक पृथक से उचित रूप से पैक करके प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक नमूनों पर निविदादाता उस पर मजबूती से चिपकाई गयी किसी कागज की पर्ची पर अपने नाम, पते लिखकर, लघु हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करेगा।
22. राजस्थान राज्य में पंजीकृत औद्योगिक ईकाईयों को राज्य के बाहर की ईकाईयों की अपेक्षा में प्राथमिकता दी जावेगी। राजस्थान की फर्मों की दरों के मूल्यांकन में वैट को शामिल किया जावेगा।
23. निविदा में निर्धारित शर्तों व चाही गई सामग्री के सम्पूर्ण विवरण की पूर्ण जांच सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षर करने से पूर्व करनी होगी। इस सम्बन्ध में यदि कोई शंका/शक/प्रश्न हो तो पूर्व में राज्य क्षय रोग अधिकारी से विवरण प्राप्त कर लेवें।
24. विभाग को सफल निविदादाता के कार्यालय/फैक्ट्री/गोदाम के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार है इस सम्बन्ध में निविदादाता अपना पूर्ण पता मय सम्पर्क हेतु अधिकृत व्यक्ति के नाम व मोबाईल नं. उपलब्ध करवायेगा।
25. टेस्ट में फेल होने वाली सामग्री सफल निविदादाता द्वारा अविलम्ब एकत्रित करनी होगी। ऐसी सामग्री में टूट-फूट/क्षति/हानि की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
26. सप्लाई की गई सामग्री में यदि कोई कमी पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में सप्लाई को लौटाने/स्वीकार करने का अधिकार सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) का होगा। ऐसी सप्लाई स्वीकार की जाती है तो उसकी कीमत का निर्धारण/कटौति का अधिकार सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) का होगा तथा सफल निविदादाता को इसे स्वीकार करना होगा।
27. सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) को यह अधिकार होगा की वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त/अस्वीकार कर दे। यह आवश्यक नहीं कि न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकार्य किया जावे इस हेतु निविदादाता को बिना कारण बताये निर्णय लिया जा सकता है।
28. निविदा के साथ जमा करवाये गये नमूने अनुबन्ध समाप्ति के 6 माह तक विभाग में निःशुल्क जमा रहेंगे। सेम्पल की जांच/टेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति/टूट-फूट/हानि/नुकसान के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
29. असफल निविदादाता द्वारा अपने नमूने स्वयं पुनः वापस एकत्रित करने होंगे। यदि निर्धारित समय तक अपने नमूने एकत्रित नहीं करता है तो नमूने विभाग द्वारा जब्त कर लिये जावेंगे। इस हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
30. समस्त प्राप्त नमूने की जांच/टेस्ट विभाग द्वारा करवाई जावेगी। जांच/टेस्ट फेल होने पर नमूने व निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
31. सफल निविदादाता को टेस्ट में फेल होने वाली सामग्री निर्धारित समयावधि में बदलनी होगी जिसका खर्चा निविदादाता को वहन करना होगा।

32. निविदा में दर्शायी गई मात्रा से कम/अधिक मात्रा के ऑर्डर निविदादाता को दिये जा सकते हैं। ऐसी सप्लाई करने के लिये निविदादाता बाध्य होगा।
33. निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जावेगा।
- (अ) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस ले लेता है।
 - (ब) जब सफल निविदादाता विदिर्निष्ट समय में अनुबंध/करार को निष्पादित नहीं करता है तथा प्रतिभूति राशि को जमा नहीं कराता है।
 - (स) जब सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई ऑर्डर देने के बाद भी यदि प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाई जाती है।
 - (द) जब सफल निविदादाता सप्लाई आदेश में निश्चित समयावधि में सामग्री की सप्लाई करने में असफल रहता है।
 - (य) यदि बोली लगाने वाले RAPP नियमों के अध्याय 6 में विदिर्निष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
34. अनुबन्ध हेतु स्टाम्प व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा।
35. प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
36. सामग्री की आपूर्ति आदेश दिये जाने की दिनांक से 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा।
37. सफल निविदादाता की अमानत राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जावेगा। प्रतिभूति राशि कार्य की लागत के 5% के बराबर होगी।
38. प्रतिभूति राशि को निम्न में जमा करा सकते हैं:-
- अ. डीडी/बैंकर्स चेक
 - ब. बैंक गारन्टी (अनुबन्ध की दिनांक से 14 माह की वैधता)।
 - स. डाकघर की बचत खाता पासबुक Pledged करवाकर।
 - द. NSC/KVP/राष्ट्रीय बचत योजना की अन्य कोई बचत योजना Pledged करवाकर।
39. अनुबन्ध की समाप्ति अथवा सफल निविदादाता द्वारा कोई भी कार्य बकाया नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि लौटा दी जायेगी।
40. प्रतिभूति राशि को निम्न स्थिति में जब्त कर लिया जावेगा:-
- अ. जब अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - ब. जब सफल निविदादाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक रूप से करने में असफल रहता है।
 - स. प्रतिभूति राशि को जब्त करने से पूर्व निविदादाता को आवश्यक नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
41. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के परिवहन के मार्ग में टूट-फूट या कम होने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। सामग्री सही हालत में एवं अनुमोदित नमूनों के अनुसार होने पर ही आपूर्ति स्वीकार की जावेगी।
42. विहित सुपुर्दगी अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए परिनिर्धारित नुकसान (Liquidity Damage) की वसूली की जावेगी :-
1. (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिए - 2.5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि तक के लिए - 5 प्रतिशत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अवधि तक के लिए - 7.5 प्रतिशत
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए - 10 प्रतिशत
 2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा।

3. परिनिर्धारित नुकसान (Liquidity Damage) की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
4. यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की आपूर्ति करने के लिए वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदायगी पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
43. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार करने या रद्द करने का, सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) को पूर्ण अधिकार होगा।
44. सफल निविदादाता को अनुबन्ध के समय निम्न दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे:-
 अ. पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की सत्यापित प्रति।
 ब. पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष।
 स. प्रोपराईटर शिप की स्थिति में प्रोपराईटर के घर व कार्यालय का पूर्ण पता मय मोबाईल नं.।
 द. कम्पनी की स्थिति में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति।
45. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
46. समस्त विधि कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
47. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होंगे।
48. यदि निविदादाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इसमें से किसी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.) द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पक्ष में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
49. बीमा - यदि निविदादाता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्य (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा यदि ऐसा बीमा किया जाता है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।
50. सफल निविदा दाता को किसी भी परिस्थिति में अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश में बताये अनुसार अजमेर, जयपुर तथा जोधपुर में FOR निर्धारित समयावधि में करने के पश्चात् तथा जांच में सही पाये जाने के उपरान्त अनुमोदित दरों के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
51. सफल निविदाकार/निविदाकारों को निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार निष्पादित करना होगा और संविदा की यथावत क्रियान्विती के लिए अनुबन्ध राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में करार पर हस्ताक्षर से पूर्व जमा करवाने होंगे। प्रतिभूति की रकम पर ब्याज नहीं दिया जावेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने की व्ययों का संदाय निविदाकार करेगा। विभाग द्वारा निविदाकार को स्टाम्प लगे हुए निष्पादित करार की एक सत्यापित प्रति निःशुल्क दी जावेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने की स्थिति में धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा जप्त कर ली जावेगी और इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है और मैं/हम इन्हें स्वीकार करता/करते हूँ/हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1



Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DIRECTOR Public Health

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary and S Health

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1



(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



Doc1



FORM No. 1
[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer / authority
who passed the order (enclose copy), or a
statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative:**

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an
affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature



Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.



Doc1

फर्म द्वारा शपथ-पत्र
(100 रु. के स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर)

मैं/हम (फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम).....
.....घोषणा करता/करते हैं कि हमारी फर्म
.....को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री को
पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित
नहीं किया गया है। उक्त घोषण पूर्णतया सत्य व सही है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)



औसत वार्षिक टर्न ओवर की सूचना का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स
का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है :-

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर की राशि (लाख में)
1.	वर्ष 2013-14	
2.	वर्ष 2014-15	
3.	वर्ष 2015-16	
योग		
औसत वार्षिक टर्न ओवर		

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के
हस्ताक्षर मय सील

निविदा दाता के
हस्ताक्षर मय सील



DECLARATION BY TENDERERS

I/We declare that I am/we are bonafide/Manufacturers/Whole Sellers/Sole distributor/Authorised dealer/dealers/sole selling/Marketing agent in the goods/stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the Tenderer

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



दस्तावेज उपलब्ध करवाने की चैकलिस्ट

तकनीकी निविदा के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ✓ अथवा X का निशान लगावे।

1. अमानत राशि का डीडी नं.....राशि 22,000 की छायाप्रति ☐
2. RISL के शुल्क का डीडी नं.राशि 500 की छायाप्रति ☐
3. निविदा शुल्क के डी.डी. नं.राशि 400 की छायाप्रति ☐
4. वेट का पंजीयन एवं क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र की प्रति ☐
5. आयकर पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति ☐
6. फर्म द्वारा शपथ-पत्र (ब्लैक लिस्टेड न होने का) ☐
7. निविदादाता मैन्यूफेक्चरर/डीलर होने का प्रमाण पत्र ☐
8. टर्न ओवर की सूचना ☐
9. प्रत्येक आईटम का लघु साईज का नमूना पृथक से प्रस्तुत करें। ☐
- 10- प्रपत्र A,B,C,D ☐



(फर्म के लेटर पैड पर)
निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचना सत्य है। यदि असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से जप्त कर लिया जाए तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम

डाक पता.....

.....

मोबाईल नं.....

फोन नं.....



राजस्थान सरकार
निदेशायल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:क्षय/स्टोर/निविदा/2016/



दिनांक:

निविदा प्रपत्र वित्तीय निविदा

1. निविदा बाबत प्रयोगशाला, रसायन सामग्री, कन्ज्यूमेबल, प्लास्टिक वेयर एवं ग्लासवेयर क्रय हेतु वित्तीय निविदा
2. निविदादाता का नाम व.....डाक का पूरा पता
.....
3. निविदा जिसको सम्बोधित है/प्रस्तुत की :: सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टी.बी.)
एवं राज्य क्षय रोग अधिकारी,
: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर।
4. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक.....906.....दिनांक.....4/8/16.....
5. दर्शायी गयी दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी। दोनों पक्षों की सहमति से 3 माह के लिये समयावृद्धि की जा सकती है।
6. प्रयोगशाला रसायन, कन्ज्यूमेबल, प्लास्टिक वेयर एवं ग्लासवेयर हेतु दरें संलग्न अनुसूची में विभाग के चाहे अनुसार पैकिंग की मात्रा अनुसार शब्दों में व अंकों में अंकित करें एवं इस निविदा के साथ संलग्न करें।
7. प्रस्तुत की जाने वाली दरों में वैट को अलग से दर्शाया जावे।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

मोबाईल नं. व पता

.....

.....

.....

Name of bidder..... Bid number..... Dated.....

Bill Of Quantity (BOQ)

CHEMICALS DEMAND SHEET									
S. No.	Item Name	Specification	UNIT PACK	TOTAL QUANTITY REQUIRED	RATE PER UNIT IN FIGURE	RATE PER UNIT IN WORDS	TAX/VAT PER UNIT IN FIGURE	TAX/VAT PER UNIT IN WORDS	TOTAL AMOUNT IN FIGURE
1	Potassium Di hydrogen Orthophosphate	Extra pure, KH_2PO_4 , Mol wt. 136.1, Minimum assay = 99%, anhydrous	1/2 KG	8 KG					
2	Magnesium Sulphate	Extra pure, $MgSO_4 \cdot 7H_2O$; Mol wt. 246.48; Purity 99.5%	1/2 KG	6 KG					
3	Magnesium Citrate	Extra pure, Tri Basic; $C_{12}H_{10}Mg_3O_{14} \cdot 9H_2O$, Mol wt. 613.28	1/2 KG	15 KG					
4	L – Asparagenes	Extra pure, L – Asparagine monohydrate; $C_4H_8N_2 \cdot H_2O$; Mol wt - 150.14, $\geq 99\%$	100 GM	300 GM					
5	Glycerol	$CH_2OHCHOHCH_2OH$, Mol. Wt. 92.1; Purity 99.5%	1 Lt.	6 Lt.					
6	Malachite Green, Extra Pure	Extra pure, Chemical Name - Malachite Green Hydrochloride $C_{23}H_{25}ClN_2$, Mol wt. 364.9, Green, Dye content 80% + 9%, Solubility both in water & alcohol, Stability more than 1 year	25 GM	750 GM					
7	Sodium Hydroxide Pellets	Extra pure, NaOH, Formula wt - 40, Minimum assay - 98%, pellets	1/2 KG	40 KG					
8	Basic Fuchsin	Chemical Name - Pararosaniline Hydrochloride $C_{20}H_{20}ClN_3$, Mol wt. 337.86, Dye content 85 - 88%; Dye content must be mentioned, Color - Metallic Green	25 GM	2 KG					
9	Methylene Blue	MethylThionine Chloride, $C_{16}H_{18}ClN_3S$, Mol wt. 319.9 (Dye content must be mentioned)	25 GM	1.5 KG					
10	Phenol	C_6H_5OH ; Mol wt. 94.11, Melting point - $40^\circ C$ +2, Purity 99.5%, phenol crystals	1/2 KG	65 KG					
11	Conc. Sulphuric Acid	Formula Wt 98.08, Specific gravity 1.84, Minimum assay - 98%	5 Lt.	50 Lt.					
12	Hydrochloride Acid Conc.	Mol wt 36.46, Specific gravity 1.18, purum $\geq 35\%$	5 Lt.	60 Lt.					
13	Auramine-O	$C_{17}H_{22}ClN_3$, Mol wt. 303.84, Dye component $\geq 85\%$, melting point 265 degree C, certified CI 41000	100 GM	5 KG					
14	Potassium Permagnate	$KMnO_4$, Formula Wt. - 158, content 99%, decomposition > 240 degree C	1/2 KG	10 KG					
15	Acetone	GR Grade	2.5 Lt.	7.5 LT					

No.	Item Name	Specification	UNIT / PACK	QUANTITY REQUIRED	UNIT IN FIGURE	UNIT IN WORDS	UNIT IN FIGURE	UNIT IN WORDS	AMOUNT IN FIGURE	AMOUNT IN WORDS
16	Absolute Alcohol	Ethanol 1 Liter pack, 96% Technical grade, C ₂ H ₆ O, MW - 46.07, Boiling point 75-78 oC	500 ML	200 LT						
17	Methyl Alcohol	Methanol 1/2 Liter Pack	500 ML	6 LT						
18	Peptone Bacteriological	Bacteriological pure	250 GM	750 GM						
19	Agar	GPR Grade	250 GM	750 GM						
20	Formalin for Fumigation (Formaldehyde)	HCHO, Mol wt. 30.03, weight per ml at 20oC=1.075-1.095 g, methanol content = 10-15% assay (Acidimetric) as HCHO 37 - 41 %	5 Lt	60 Lt.						
21	7 H 9 Brooth Base	Bacteriological pure	1/2 KG	750 GM						
22	Sisquisulphate Sigma D-7253	Sigma D-7253	5 GM	15 GM						
23	Isonicotinic Acid Hydarazide Sigma I - 3377	Sigma I - 3377	5 GM	15 GM						
24	Rifampicin Sigma R - 3501	Sigma R - 3501	5 GM	15 GM						
25	Ethambutol Dihydrochloride Sigma E- 4630	Sigma E- 4630	25 GM	75 GM						
26	PNB (Para Nitro Benzoic Acid)	Formula Wt 167.12, Minimum assay - 99%, C ₈ H ₄ COOHNO ₂	250 GM	750 GM						
27	N - N - Dimethyl Formamide	HCON (CH ₃) ₂ Mol wt 73.09	250 ML	750 ML						
28	Cyanogen Bromide LR Grade	CNBr - Cisco Research Lab. ; Mol wt - 105.9	50 GM	150 GM						
29	N-acetyl L-Cysteine	Sigma Make, C ₅ H ₉ NO ₃ S , Mol Wt. 163.2, Purity 99%	100 GM	900 GM						
30	Skimmed Milk Powder	Extra Pure	250 GM	750 GM						
31	Di Sodium Hydrogen Phosphate anhydrous	Extra Pure Na ₂ HPO ₄ , Mol.W. 141.96, ASSAY-Min 98.0%	1/2 KG	9 KG						
32	Tri sodium citrate dihydrate	Extra Pure C ₆ H ₅ Na ₃ O ₇ ·2H ₂ O, Mol.W.294.10, ASSAY-Min 99.0%	1/2 KG	8 KG						
33	Phenolic compound containing disinfectants (40%)	House hold disinfectant, containing phenolic compounds such as monochloro phenol, coal tar acids, oils & Emulsifiers etc.	5 Lt.	220 Lt.						
34	Sodium Hypochlorite Solution (5%)	Bleaching Solution, Surface Disinfectant	5 Lt.	200 Lt.						
35	Liquid Soap Solution (Conc.) for washing of Glassware	For washing of Glassware	5 Lt.	150 Lt.						

OTHER CONSUMABLES

S. No.	Item Name	Specification	UNIT PACK	TOTAL QUANTITY REQUIRED	RATE PER UNIT IN FIGURE	RATE PER UNIT IN WORDS	TAX/VAT PER UNIT IN FIGURE	TAX/VAT PER UNIT IN WORDS	TOTAL AMOUNT IN FIGURE	TOTAL AMOUNT IN WORDS
1	Disposable surgical Face Mask	1 pack individually (No.)	100 PIECE/PACK	3000						
2	Disposable Latex surgical Gloves	Size Small	100 PIECE/PACK	7500						
3	Disposable Latex surgical Gloves	Size Medium	100 PIECE/PACK	4500						
4	Disposable Latex surgical Gloves	Size Large	100 PIECE/PACK	3000						
5	Cotton Non Absorbent	½ Kg each Surgical Grade		75 Roll						
6	Disposable loop	Sterile, Flexible, individually sealed, calibrated to 0.01 ml		6000						
7	Nichrome loop	Calibrated to 0.01 ml	5 X 20	100						
8	Absorbent sheet or bloating paper sheets	45 X 45 Cm ²	100 SHEETS	1500						
9	Lens cleaning paper (Whatman)	Soft microscope lens cleaning tissue, 4" X 6" Booklet, each book containing	10 BOOKS	38 Book						
10	Filter paper no. 1 (Whatman)	Diameter 12.5 Cm, Smooth on one side & rough on other side, water permeable	10 PIECE/PACK	30 Pack						
11	1 ml pipette, sterile, disposable	1 ml 1 in 10 graduation, low density polyethylene, sterile, graduated, each pack separately	10 PIECE/PACK	150 UNIT						
12	5 ml pipette, sterile, disposable	5 ml 1 in 10 graduation, low density polyethylene, sterile, graduated, each pack separately	10 PIECE/PACK	150 UNIT						
13	10 ml pipette, sterile, disposable	10 ml, low density polyethylene, each pack separately to maintain sterility	10 PIECE/PACK	150 UNIT						
14	Wire gauge with non-asbestos pad at the centre	Iron mesh of 1 mm thick wire for tripod stand, 15 Cm X 15 Cm, with 10 cm diameter asbestos in the centre, size 6" X 6"	5 NOS.	18 NOS.						
15	Bunsen Burner for LPG Gas	Fast flame bunsen burner, stainless steel, 15 Cm height, head dia-13 mm, Nickel plated with stopcock	5 NOS.	8 NOS.						
16	Bio-waste bag	30 to 40 Liter Capacity, Yellow color	100 PIECE/PACK	1500						
17	Bio-waste bag	30 to 40 Liter Capacity, Red color	100 PIECE/PACK	2500						
18	Bio-waste bag	30 to 40 Liter Capacity, Blue color	100 PIECE/PACK	1000						
19	Bio-waste bag	30 to 40 Liter Capacity, Black color	100 PIECE/PACK	2500						

PLASTICWARES (Autoclavable)										
S. No.	Item Name	Specification	UNIT PACK	TOTAL QUANTITY REQUIRED	RATE PER UNIT IN FIGURES	RATE PER UNIT IN WORDS	TAX/VAT PER UNIT IN FIGURES	TAX/VAT PER UNIT IN WORDS	TOTAL AMOUNT IN FIGURES	TOTAL AMOUNT IN WORDS
1	Conical Flask	100 ml	10 PIECE	30						
2	Conical Flask	250 ml	10 PIECE	30						
3	Conical Flask	500 ml	5 PIECE	15						
4	Measuring cylinders	25 ml	4 PIECE	8						
5	Measuring cylinders	50 ml	4 PIECE	8						
6	Measuring cylinders	100 ml	4 PIECE	8						
7	Measuring cylinders	500 ml	4 PIECE	8						
8	Funnels	Dia = 5 Cm	5 PIECE	5						
9	Funnels	Dia = 10 Cm	5 PIECE	5						
10	Funnels	Dia = 16 Cm	5 PIECE	5						
GLASSWARES			UNIT PACK	TOTAL QUANTITY REQUIRED	RATE PER UNIT IN FIGURES	RATE PER UNIT IN WORDS	TAX/VAT PER UNIT IN FIGURES	TAX/VAT PER UNIT IN WORDS	TOTAL AMOUNT IN FIGURES	TOTAL AMOUNT IN WORDS
1	Glass Slides	Glass microscope slides, 76mm X 26mm X 1.3mm plain, one pack of 50 slides	50 PIECE	450 PACK						
2	Round Flat bottom Flask	1 ltr (Borosilicate)	5 PIECE	5						
3	Round Flat bottom Flask	250 ml (Borosilicate)	5 PIECE	30						
4	Round Flat bottom Flask	500 ml (Borosilicate)	5 PIECE	15						
5	Measuring Cylinders	Graduated 100 ml (Cylinder Type)	5 PIECE	5						
6	Measuring Cylinders	Graduated 500 ml (Cylinder Type)	5 PIECE	5						
7	Volumetric Conical Flask with long neck	250 ml (Borosilicate)	5 PIECE	30						
8	Volumetric Conical Flask with long neck	500 ml (Borosilicate)	5 PIECE	15						
9	Volumetric Conical Flask with long neck	1000 ml (Borosilicate)	5 PIECE	15						
10	3 litres Flask	Autoclavable & dry heat resistance, flat bottom round flask, Extended neck (Borosilicate)	5 PIECE	5						
11	Funnels	Clear glass, Plain diameter 5 cm	5 PIECE	5						
12	Funnels	Clear glass, Plain diameter 10 cm	5 PIECE	5						
13	Funnels	Clear glass, Plain diameter 18 Cm	5 PIECE	5						

✓